

समस्त उच्च/क्ष. शा.

1

28/6/24

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय
सतपुडा भवन, भोपाल- 462004

25/6/24
25/6/24

क्रमांक 1167/आउशि/शा.
प्रति,

भोपाल, दिनांक

1. कुल सचिव, समस्त शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में दीक्षारंभ समारोह मनाये जाने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र क्रमांक एफ-1-5/2024 (QIP-SIP) दिनांक 27/03/2024.

--00--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र के अनुक्रम में एवं उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक 313/52/सीसी/24/38 दिनांक 20/05/2024 के अनुसार प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत दीक्षारंभ समारोह 1 जुलाई 2024 से तीन दिवसीय मनाया जाना है।

दीक्षारंभ कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को नए परिवेश में सहज महसूस कराने, उनमें संस्थान की विशिष्ट प्रकृति तथा संस्कृति को सिखाने, अन्य छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संबंध बनाने तथा उन्हें व्यापक उद्देश्य तथा स्वयं की खोज की भावना से परिचित कराना है।

इस संबंध में शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिये जाते हैं कि वे कार्यक्रम में समाजीकरण, संबद्ध होना, अभिशासन और अनुभव के आयामों को समाहित करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों के नव प्रवेशित विद्यार्थी, संस्थानों के प्रमुख, महत्वपूर्ण अधिकारी/प्रशासनिक कर्मचारी, संकाय मार्गदर्शक, एन.सी.सी., एन.एस.एस., चयनित पूर्व-छात्र, छात्र परिषद्/संगठन, चयनित वरिष्ठ छात्र, सिविल समाज, आमंत्रित विशिष्ट व्यक्ति, शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

दीक्षारंभ समारोह आयोजित किये जाने हेतु संभावित गतिविधियां निम्नानुसार हैं :-
शारीरिक क्रियाकलाप, मार्गदर्शन, विभाग/शाखा से परिचित होना, सृजनात्मक कला तथा संस्कृति, साहित्यिक क्रियाकलाप, विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान एवं महाविद्यालय में पाठ्येतर क्रियाकलाप।

मार्गदर्शन सत्रों के दौरान प्रतिदिवस क्रम से विद्यार्थियों से संबंधित निम्नवत् संभावित विषयों पर चर्चा की जा सकती है:-

विद्यार्थियों की आकांक्षाएँ, परिवार की आशाएँ, मदद करने वाले लोगों के प्रति आभार, स्वयं की तथा शरीर की मानवीय आवश्यकताएँ, साथियों का दबाव, समृद्धि एवं संबंध।

कार्यक्रम आयोजित करने हेतु पूर्व तैयारी :-


आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के आयोजन में संकाय सदस्य, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जाए।

1. नए विद्यार्थियों की प्रेरण प्रक्रिया के संबंध में संस्थान की वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रेरण की प्रक्रिया, विस्तृत समय सारणी, प्रतिदिन उपस्थित रहने संबंधी उपबंध प्रतिक्रिया आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
2. शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करने में शामिल सभी भागीदारों की संयुक्त बैठक।
3. संस्थान के मुखिया तथा शीर्ष प्रबंधन से पूर्ण सहयोग।
4. नए विद्यार्थियों को यह जानकारी प्रदान की जाए कि कार्यक्रम एक अनिवार्य, क्रेडिट रहित पाठ्यक्रम है, जिसके लिए संस्थास्तर पर एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
5. शिक्षक तथा अन्य सहभागियों द्वारा अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना।
6. संस्थान के स्वरूप, आकार तथा अवस्थिति के आधार पर क्रियाकलापों की विस्तृत समय-सारणी तैयार करना।
7. कार्यक्रम नीति तैयार करना तथा विद्यार्थियों के लिए चार्टर तैयार करना, जिसमें उनके उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया हो।
8. कार्यक्रम समिति का गठन, जो संस्थान के मुखिया के परामर्श से विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगी, समग्र कार्यक्रम का संचालन, क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए समन्वय करेगी।
9. कार्यक्रम के आरंभ होने के पूर्व मार्गदर्शक समन्वयक की नियुक्ति की जाएगी। उसका उत्तरदायित्व मार्गदर्शक समूह तैयार करना, सामूहिक चर्चा का निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित करना और आवधिक रूप से मार्गदर्शकों की बैठक आयोजित करना होगा।

10. कार्यक्रम किस प्रकार आरंभ करें, इस संबंध में भागीदारों के लिए आधे दिन की एक कार्यशाला आयोजित करना।
11. विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, समग्र शिक्षा तथा जीवन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना।
12. समय-सारणी के अंतर्गत दिये गये विभिन्न कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विभिन्न समितियों का गठन कर कार्यक्रम का संचालन सुनिश्चित करें।
13. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर परिसर की सफाई सुनिश्चित करें। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लिये गये गोद ग्राम एवं निकट के ग्रामों तथा शहरी बस्तियों में सामुदायिक सफाई के कार्यक्रमों का आयोजन करना।
14. समिति द्वारा डॉक्यूमेंट्री (लघु फिल्म- जिसमें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कैम्पस की अधोसंरचना एवं शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ का परिचय का फिल्मांकन हो) का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें।
15. समिति द्वारा मुख्य अतिथि का चयन, उनको आमंत्रण तथा संस्थान में उनके आगमन संबंधी व्यवस्था करना सुनिश्चित करे।
16. समिति संस्थान में प्रवेश क्षमता के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कमरे, हॉल की एवं बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ साउन्ड सिस्टम, लघु फिल्म के लिए प्रोजेक्टर, पेयजल आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना सुनिश्चित करे।
17. समिति द्वारा बेनर एवं स्टैंडी तैयार किया जाना - दीक्षारंभ, लिंग संवेदीकरण, रैगिंग की रोकथाम, संस्थानों की विभिन्न सुविधाएं जैसे स्वामी विवेकानंद कैरियर, मार्गदर्शन योजना, एनसीसी, एनएसएस, छात्रवृत्ति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जिसे संस्थान के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जायेगा।
18. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा भाग लेने वाले विद्यार्थियों को ड्रेस-कोड पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
19. स्थानीय समाचार पत्रों में दीक्षारंभ के बारे में जानकारी एवं कार्यक्रम उपरांत प्रेस नोट का प्रकाशन किया जावेगा।
20. समिति नवप्रवेशित विद्यार्थियों का पंजीकरण फॉर्म भरवाया जाना सुनिश्चित करे।



विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा की गई गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम का संक्षिप्त प्रतिवेदन फोटोग्राफ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित कार्यक्रम संबंधी समाचार की छायाप्रतियाँ सहित विषय सामग्री को समेकित रूप से दिनांक 08/07/2024 तक उच्च शिक्षा संचालनालय के ईमेल deeksharambh.dhe.2024@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(निशांत वरवडे)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक

25/07/24

क्रमांक 1163 / आउशि/शा.

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।


आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

24/6/24


विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / पृष्ठांकन / 2024 / 1540

दिनांक 28 / 06 / 2024

उपरोक्त दीक्षारंभ समारोह मनाये जाने हेतु डॉ. एस. के. मिश्रा संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण, को मार्गदर्शक समन्वयक नियुक्त किया जाता है। समस्त विभागाध्यक्ष, निदेशकों से अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार सभी अध्ययनशालाओं में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाकर, आयोजित कार्यक्रम के फोटोग्राफ भी मार्गदर्शक समन्वयक डॉ. एस.के. मिश्रा जी को ओर एवं कुलसचिव के ई-मेल आईडी registrarvikram@gmail.com पर प्रेषित करें।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

क्रमांक / 2024 / 1541

प्रतिलिपि:-

दिनांक 28 / 06 / 2024

01. समस्त विभागाध्यक्ष / शिक्षक / निदेशक, वि.वि. उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
02. कुलगुरु / कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।


कुलसचिव

दीक्षारंभ समारोह
(नवप्रवेशित विद्यार्थियों हेतु अभिप्रेरण कार्यक्रम)

सत्र-2024-25

दिनांक : 01/07/2024 से 03 /07/2024

दिवस 1: स्वागत एवं अभिमुखीकरण

समय	गतिविधियाँ
प्रातः 09:00 से 10:00	उपस्थिति/पंजीकरण
10:00 से 11:30	<ul style="list-style-type: none"> उद्घाटन समारोह प्राचार्य/डीन द्वारा स्वागत भाषण, संस्थान का परिचय एवं उसका विज्ञान मुख्य अतिथि का उद्बोधन
11:30 से 11:45	विराम
11:45 से 12:15	संकाय और कर्मचारियों का परिचय
12:15 से 01:00	परिसर का अवलोकन
01:00 से 02:30	<ul style="list-style-type: none"> एनईपी-2020 के अनुसार शैक्षणिक संरचना और परीक्षा प्रणाली का परिचय वरिष्ठ छात्रों के साथ इंटरैक्टिव सत्र आइस-ब्रेकिंग सत्र


दिवस 2: शैक्षणिक अभिविन्यास

समय	गतिविधियाँ
प्रातः 09:00 से 10:00	<ul style="list-style-type: none"> शैक्षणिक विनियम और दिशा-निर्देश छात्रवृत्ति आदि...
10:00 से 11:30	विभागों और पाठ्यक्रमों का परिचय
11:30 से 11:45	विराम
11:45 से 12:15	प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ एवं डिजिटल संसाधनों का अवलोकन
12:15 से 01:00	पुस्तकालय का भ्रमण
01:00 से 02:30	<ul style="list-style-type: none"> कैरियर परामर्श और प्लेसमेंट सेल का अवलोकन पाठ्येतर गतिविधियों का परिचय, प्रश्नोत्तर सत्र

दिवस 3: विद्यार्थी जीवन और सहायता प्रणाली, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियाँ, परिचय और मार्गदर्शन -

समय	गतिविधियाँ
प्रातः 09:00 से 10:00	<ul style="list-style-type: none"> संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम - संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013) सूचना का अधिकार अधिनियम (2005), लोक सेवा गारंटी अधिनियम (2010) साइबर और बौद्धिक संपदा अधिकार ।

10:00 से 11:30	<ul style="list-style-type: none"> • स्वास्थ्य और कल्याण अभिविन्यास, सुरक्षा और बचाव संबंधी जानकारी, परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ • विद्यार्थी सहायता सेवाएँ (छात्रावास, परिवहन, आदि) • विद्यार्थी क्लबों और सोसायटी का परिचय • सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सेवा अभिविन्यास।
11:30 से 11:45	विराम
11:45 से 12:15	<ul style="list-style-type: none"> • पूर्व छात्रों से चर्चा • अनुसंधान के अवसरों का परिचय • प्रतिक्रिया और सुझाव सत्र
12:15 से 01:00	<ul style="list-style-type: none"> • समूह गतिविधियाँ और समूह निर्माण अभ्यास • खेल और फिटनेस गतिविधियाँ • मनोरंजक खेल और प्रतियोगिताएँ
01:00 से 02:30	<ul style="list-style-type: none"> • टैलेट हंट/शोकेस • सांस्कृतिक उत्सव और प्रदर्शन • समापन समारोह।


 (डॉ. अनिल राजपूत)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा म.प्र.